16

17

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर म.प्र.

===================================

क्रमांक 5362 /शिक्षण/88 बिलासपुर, दिनांक 7-9-88

आ दे श

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के मास कम्यूनिकेशन एवं जर्नलिज्म अध्यापन विभाग में कु. गोपा बागची की नियुक्ति व्याख्याता के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर (जो विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत बने परिनियम के अनुसार आगे बढ़ाई जा सकती है) वेतनमान 700-1600 एवं में मूलवेतन रूपये 700/- प्रतिमाह एवं विश्वविद्यालय नियमानुसार देय भत्तों पर (म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 परिनियम एवं अध्यादेश में निर्दिष्ट सेवा शर्तों के अधीन) कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से की जाती है।

आदेशानुसार,

(रामचंद्र परमार)
(कुलसचिव)

पृ. क्र. 5363 /स्था.प्रशा./88 बिलासपुर, दिनांक 7-9-88

प्रतिलिपि:-

1. कु. गोपा बागची, पत्रकारिता विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। उनकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों पर की गई है, जिसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं की जावेगी।

अ. उन्हें कार्यभार ग्रहण के समय स्वास्थ्य एवं शारीरिक रूप से योग्य होने संबंधी मुख्य चिकित्सक, बिलासपुर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी सेवा में हो तो पूर्व सेवा से त्यागपत्र प्रस्तुत कर स्वीकृति संबंधी आदेश एवं विभाग से कार्यमुक्त करने संबंधी आदेश की प्रति प्रस्तुत करना होगा।

ब. उनकी यह नियुक्ति इस शर्त पर की जाती है कि यदि वे स्वयं सेवा से अलग होना चाहे तो उस स्थिति में उन्हें एक माह के

18 17

पूर्व उक्त आशय की सूचना देनी होगी अथवा उसके एवज में एक माह के पूर्ण वेतन की राशि देय होगी। यदि परिवीक्षा अवधि में उनका कार्य संतोषजनक नहीं पाया ~~गया~~ जाता है अथवा विश्वविद्यालय को उनकी सेवाओं की आवश्यकता न हो तो उन्हें एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह का पूर्ण वेतन देकर सेवा से अलग किया जा सकेगा।

(स) उनकी सेवायें, चाल-चलन संबंधी जांच में उपयुक्त एवं अच्छा पाये जाने पर ही वैध होगी।

(द) आदेश की प्राप्ति के दिन से तीस दिन के भीतर पद का कार्यभार ग्रहण किया जाना चाहिये अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त समझी जायेगी।

(इ) यह आदेश व इसका लिफाफा कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2. वित्ताधिकारी, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ अग्रेषित। इस नियुक्ति पर होने वाला व्यय विकास बजट के अंतर्गत स्थापना व्यय में विकलनीय होगा।

3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल को सूचनार्थ अग्रेषित.

4. मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, भोपाल को सूचनार्थ अग्रेषित.

कुलसचिव.

::0::